

राजस्थान सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर

कमांक:प.2/लेखा-1/बजट/2017-18/

दिनांक:

पंचकर्म केन्द्र योजना हेतु उपकरण मद में बजट आवंटन

बजट घोषणा वर्ष 2017-18 के बिन्दु संख्या 239 के कम में संयुक्त शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र कमांक:प.18(5)आयु./2017 दिनांक 11-05-17 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में निम्नांकित राजकीय आयुर्वेद जिला चिकित्सालय/राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में नये पंचकर्म केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इन चिकित्सालयों में पंचकर्म केन्द्र खोलने हेतु बजट मद 2210-02-101-(02)-[01] -उपमद 18 एम.ई.टी.पी.में निम्नानुसार राशि का आवंटन किया जाता है:-

(राशि लाखों में)

कार्यालय कोड नम्बर	आहरण एवं वितरण अधिकारी	राजकीय आयुर्वेद जिला चिकित्सालय/ राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय का नाम जहाँ पंचकर्म केन्द्र प्रारम्भ किया जाना है।	उपमद 18- एम.ई.टी.पी
17479	जिला आयुर्वेद अधिकारी धौलपुर।	राज.जिला आयु. चिकि. धौलपुर।	2.00
16246	जिला आयुर्वेद अधिकारी जयपुर 'ब'क्षेत्र	राज.आयु. चिकि. प्रतापनगर-जयपुर 'ब'	2.00

1. उपरोक्तानुसार राशि का व्यय सम्बन्धित नियमों/निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित प्रयोजन हेतु किया जावे। बजट आवंटन उपलब्ध राशि के सीमान्तगत किया गया है।
2. प्रस्तावित केन्द्रों का संचालन उपलब्ध मैनपावर एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर से कराया जाना सुनिश्चित करावे।
3. प्रावधित राशि का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम व आर.टी.पी.पी. एक्ट/रूल्स के प्रावधानों, नियत प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए उपलब्ध प्रावधान की सीमान्तगत ही कराया जाना सुनिश्चित करावे। आवंटित राशि से अधिक राशि का व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावे।
4. नियमानुसार कय समिति का गठन किया जावे, जिसमें लेखाकर्मी व सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी को सदस्य मनोनित किया जाकर कय की कार्यवाही की जावे।
5. कय की गई सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि जि.आ.अ. कार्यालय में की जाकर सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी को सामग्री इश्यू की जावे।
6. सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी द्वारा किया जावे।
7. पृथक पृथक योजनानुसार सम्बन्धित केन्द्र पर व्यय राशि का विवरण/सूचना वर्ष के अन्त में निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावे।

SD
वित्तीय सलाहकार,

दिनांक: 3/8/17

कमांक:प.2/लेखा-1/बजट/2017-18/ 15410-19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग जयपुर/भरतपुर।
3. आहरण वितरण अधिकारी, जि.आ.अ. धौलपुर/जयपुर 'ब'क्षेत्र।
4. प्रभारी चिकित्साधिकारी, राजकीय जिला आयु. चिकि. धौलपुर/राज.आयु. चिकि. प्रतापनगर जयपुर 'ब'।
5. प्रभारी, सांख्यिकी शाखा/लेखा-4 अंक मिलान शाखा कार्यालय हाजा
6. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा को देकर लेख है कि उक्त सूचना को ई-मेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।

वित्तीय सलाहकार,